निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 21/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः– 08.07.2024

उनवान

रामकल्याण आयु 70 वर्ष पुत्र श्यामलाल उर्फ श्याम जाति चमार निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 08.07.2024
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के पिता श्यामलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 298/289 की खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 है0 भूमि ग्राम जैपला में स्थित है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है। उक्त खाते में प्रार्थी के पिता श्यामलाल के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से सीताराम दर्ज हो गया है। जिसे न्यायहित में श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या किया जाना आवश्यक है। भूमि खाता संख्या 288/231 की खसरा नम्बर 521 रकबा 0.0759 है0 भूमि जैपला में स्थित है जिसमें खातेदार नम्बर 8 श्यामा पुत्र छीत्या राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। ग्राम जैपला की भूमि खाता संख्या 300/291 खसरा नम्बर 208/3 रकबा 0.6197 है0 खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 559/2 रकबा 0.0759 है0 खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.4173 है0 कुल किता चार रकबा 1.2520 है0 भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम श्याम पुत्र छीत्या राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से दर्ज हो गया है। जबकि सही नाम श्याम उर्फ श्यामलाल पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम जाति चमार निवासी जैपला किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जबकि दस्जावेजात में श्याम उर्फ श्यामलाल पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या दर्ज है एवं खाता संख्या 299/290 की खसरा नम्बर 556 रकबा 0.0759 है0 में श्यामलाल पुत्र छीत्या के स्थान पर श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम दर्ज किया जाना है। न्यायहित में चारों खातों में प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 298/289 की खसरा नम्बर 452 रकबा 1.2899 है0 भूमि में श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र सीताराम उर्फ छीत्या एवं भूमि खाता संख्या 288/231 की खसरा नम्बर 521 रकबा 0.0759 है0 में श्यामा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

छीत्या के स्थान पर श्याम उर्फ श्यामलाल पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम एवं खाता संख्या 300/291 की खसरा नम्बर 208/3 रकबा 0.6197 है0 खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 559/2 रकबा 0.0759 है0 खसरा नम्बर 592/2 रकबा 0.4173 है0 कुल किता चार रकबा 1.2520 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम श्याम पुत्र छीत्या के स्थान पर श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम जाति चमार निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा एवं खाता संख्या 299/290 की खसरा नम्बर 556 रकबा 0.0759 है0 में श्यामलाल पुत्र छीत्या के स्थान पर श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र छीत्या उर्फ सीताराम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के पिता व माता का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी के पिता व माता के स्थान पर इंतकाल खुलवाने हेतु उक्त चारों खातों में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हल्का पटवारी के पास इंतकाल खुलवाने के लिए गया तो पटवारी ने खातें में नाम दुरूस्त करने की कहने पर वाद कारण दिनांक 21.07.2023 को उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 298 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 288 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–75 खाता संख्या 300 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–75 खाता संख्या 299 पेश की गई फोटो प्रति आधार कार्ड रामकल्याण मृत्यु प्रमाण पत्र श्यामलाल मृत्यु प्रमाण पत्र कस्तुरी बाई आधार कार्ड श्यामलाल पेश किया गया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जैपला तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम श्यामलाल पुत्र सीताराम था परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्यामलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर श्यामा पुत्र छीत्या दर्ज हो गया है खाता संख्या 298 में श्यामलाल पुत्र सीताराम सही दर्ज है परन्तु खाता संख्या 288,300 में श्यामा पुत्र छीत्या एवं खाता संख्या 299 में श्यामलाल पुत्र छीत्या गलत दर्ज है प्रार्थी के पिता का अन्य दस्तावेजों में श्यामलाल पुत्र सीताराम दर्ज है सीताराम दर्ज किया जावे। ताकि राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता मिल सके।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत 2074–75 खाता संख्या 298 में श्यामलाल पुत्र सीताराम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–75 खाता संख्या 288 एवं खाता संख्या 300 में श्यामा पुत्र छीत्या दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 299 में श्यामलाल पुत्र छीत्या दर्ज है अन्य दस्तावेजों में श्यामलाल पुत्र सीताराम दर्ज होना पाया जाता है। इस संबंध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 288 में श्यामलाल पुत्र छीत्या एवं खाता संख्या 299 में श्यामलाल पुत्र छीत्या तथा खाता 298 में श्यामलाल पुत्र सीताराम दर्ज है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता है कि श्यामा उर्फ श्यामलाल एक ही व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है प्रार्थी के पिता का नाम फोती नामान्तरण की प्रकीया से निस्तारण हो सकता है इससे धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित नही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, जिला बारां

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:18:34 IST
Reason: SelfAttested

......2